



कार्यालय कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा(छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/527/भू-अर्जन/2019

दन्तेवाड़ा, दिनांक: 10/05/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन तथा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार(सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 के नियम 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील-दन्तेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई जलाशय निर्माण क्षेत्रफल 22.41 हेक्ट. से प्रभावित ग्राम-उदेला ग्राम पंचायत-मोलसनार अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:-

क्र.	सामाजिक समाघात अध्ययन दल में सम्मिलित व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	अध्यक्ष/ सदस्य
1	श्री संतोष कुमार ध्रुव, विषयवस्तु (विशेषज्ञवानिकी), कृषि विज्ञान केन्द्र दन्तेवाड़ा	अध्यक्ष
2	श्री मुन्नालाल मरकाम, सदस्य, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा	सदस्य
3	श्रीमती उर्मिला तामो, सदस्य, जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा	सदस्य
4	श्री थॉमस जोसेफ, कार्यपालन अभियंता, (लो.नि.वि.भ/स.), दन्तेवाड़ा	सदस्य
5	श्री एस.के.चंदेल, उप अभियंता, जलसंसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा	सदस्य
6	तहसीलदार, दन्तेवाड़ा	सदस्य

अधिनियम की धारा 4 की धारा (4) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अन्तर्गत अन्य मामलों के अतिरिक्त निम्नानुसार विषय आर्येंगे-

1. इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है;
2. प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है;
3. ऐसी सार्वजनिक और प्राईवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है;
4. इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है;
5. इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है;
6. परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्चों तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन परंतु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ-साथ किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा;
7. उस समाघात का अध्ययन जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुंबों की जीविका, लोक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना विशिष्टतया सड़कों, लोक परिवहन, जलनिकास संकर्म, स्वच्छता,

10/5/19

लोकप्रिय प्रबंधन विभाग
 एवं पत्र-संचार, दूर-संचार एवं
 शिक्षण बस्तु, दिल्ली-110019

कलेक्टर
 (विशेष सेवा)

10. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया देना।
9. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
8. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
7. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
6. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
5. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
4. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
3. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
2. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।
1. एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन की प्रतिक्रिया देना।

प्र. क्रमांक/अर्ज/2019/598
 दिनांक/05/2019

लोकप्रिय प्रबंधन विभाग
 एवं पत्र-संचार, दूर-संचार एवं
 शिक्षण बस्तु, दिल्ली-110019

कलेक्टर
 (विशेष सेवा)

कक्षा के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, समाजिक कार्यकर्तों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण बस्तु, दिल्ली-110019

2016 संवत् प्रथम-द्वितीय प्रभाषित व्यक्तियों की लिखित परीक्षा एवं प्रथम-द्वितीय

2013 एवं विद्यार्थी के सुनिश्चित प्राथमिकी के अन्तर्गत अध्ययन कर लिखित

सामाजिक समाधान विद्यार्थी अध्ययन दल को उपर्युक्त अभिहित

कक्षा के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, समाजिक कार्यकर्तों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण बस्तु, दिल्ली-110019